'रामचरितमानस' के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन।

—— नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

नरेंद्र मोदी जी ने गत आठ साल में सर्व-स्पर्शी और सर्व-समावेशी सरकार दी ।

—— अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

बारिश व जलभराव से 'विश्व का सबसे बड़ा मानव तिरंगा' बनाने का कार्यक्रम रद्द

नई दिल्ली (एसएनबी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 'विश्व का सबसे बड़ा मानव तिरंगा' बृहस्पतिवार को अचानक रद्द हो गया। सरकार की तरफ से इसकी वजह बरसात एवं जलभराव बतायी गयी है। हालांकि यह वजह लोगों के गले नहीं उतर रही है। इस कार्यक्रम के लिए केजरीवाल सरकार काफी दिनों से तैयारी कर रही थी। मुख्यमंत्री के फोटो के साथ सार्वजनिक सूचना के जरिए इसकी जानकारी भी दी गई थी। इसके बाद अचानक कार्यक्रम रद्द होने से वह स्कूली बच्चे भी निराश हुए हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सप्ताह ही इस कार्यक्रम की घोषणा की थी और वह लगातार इस कार्यक्रम का प्रचार भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आजादी की 75वीं साल गिरह पर दिल्ली के बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाएंगे। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम बुराड़ी मैदान में होना था। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीटर पर जानकारी दी है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के बच्चे आज सबसे बड़ा तिरंगा बनाने वाले थे, लेकिन बुराड़ी मैदान में बरसात का पानी भरने के कारण यह कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने ताजा फोटो के साथ यह भी लिखा है कि हमारे बच्चों ने इसका शानदार रिहर्सल भी किया था।

बुराड़ी का मैदान जहां हजारों स्कूली बच्चों द्वारा 'विश्व का सबसे बड़ा मानव तिरंगा' बनाया जाना था पर बारिश व जलभराव के चलते इसे रद्द कर दिया गया। *फोटो : एसएनबी*

कार्यक्रम स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण : चौधरी अनिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर दिल्ली के हजारों स्कूली बच्चों द्वारा 'विश्व का सबसे बड़ा मानव तिरंगा' बनाने के कार्यक्रम को अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा स्थगित करने के निर्णय से दिल्लीवासियों सहित अभ्यास कर रहे स्कूली छात्रों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम बुराड़ी मैदान में आयोजित करने की कोई योजनागत तैयारी नहीं थी, क्योंकि मानसून के चलते बुराड़ी मैदान में हमेशा पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के बुराड़ी मैदान में अमृत महोत्सव आयोजित करने के गैर जिम्मेदाराना निर्णय से स्कूली बच्चों ने ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है।

कुछ इलाकों में बारिश उमस से मिली राहत

नई दिल्ली (एसएनबी)। उमस से परेशान दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को बृहस्पतिवार दोपहर बाद हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में बारिश हुई उनमें इंडिया गेट के आसपास के कुछ स्थानों के अलावा पूर्वी दिल्ली शामिल है। आईएमडी ने अगले दो दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा बारिश पालम में 32.6 मिमी, आयानगर 23.6 मिमी, नजफगढ 8 मिमी, पीतमपुरा 4.5 मिमी और पूसा इलाके में 3.5 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया। अन्य इलाको में बारिश होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद आर्द्रता का स्तर 87 फीसद तक पहुंच गया था, इसलिए उन इलाकों में उमस का ज्यादा असर देखने को मिला जिन इलाको में बारिश नहीं हुई। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो आज का सामान्य तापमान रहा।

बुधवार की तरह आज भी दिन में आसमान में बादल छाए थे, और कुछ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इसके हुआ यह है कि बारिश वाले इलाके का मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई उन इलाकों में वातावरण में आर्द्रता का स्तर बढ़ने से उमस बढ गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में शुक्रवार को यहां का तापमान के 34 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जतायी है। दिल्ली में एक जून से अब तक 312 मिमी बारिश हो चुकी है जो सामान्य बारिश 307.7 मिमी से ज्यादा है।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालयः 5वीं मंज़िल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर 127, नोएडा–201 304, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-4090500, फैक्सः +91-120-4090599
वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

27वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना एवं ई–वोटिंग की जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक मई 05, 2020, परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक मई 05, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित), में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड** ('कम्पनी') के सदस्यों की सत्ताइवीं (27वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (**'एजीएम'**), **मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से माना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट ('डीपी') के पास पंजीबद्ध हैं। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना ई–मेल करने का कार्य 04 अगस्त, 2022 को पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors/reports-presentations पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पहले से पंजीबद्ध हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग के लिए एजीएम सूचना में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं हैं, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ई–मेल आईडी का सफल पंजीकरण होने पर, ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेजा जाएगा :

(i) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं, वे लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. ('लिंक इनटाइम') के पास अपनी ई–मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। तथापि, ई–मेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

(ii) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, वे लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम के पास अपना विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं।

(iii) विकल्पतः, सदस्यगण ई–वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए, एजीएम की सूचना में वर्णित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए एक अनुरोध evoting@nsdl.in पर भेज सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली') के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) तथा ई–वोटिंग की सुविधा (एजीएम में) उपलब्ध कराई जाएगी, उक्त सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को जो कि वीसी/ओवीएएम के माध्यम से उपस्थित हैं, उपलब्ध कराई जाएगी। जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 27वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई–वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
2. सदस्य(यों) के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। वो व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है सदस्य या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को केवल एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे।
3. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को शेयरों का धारक है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jublfood.com को अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी के उल्लेखयुक्त ई–मेल भेजकर यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
4. रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 27 अगस्त, 2022 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी तथा सोमवार, 29 अगस्त, 2022 (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
5. इस अवधि के दौरान, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं।
6. सदस्यों को एजीएम में ई–वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य, जिनके द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में वोट डालने के हकदार होंगे।
7. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते/भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
8. रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीके, एजीएम में ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors/reports-presentations और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
9. किसी संदेह की स्थिति में, आप सदस्यगण, www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल देखें अथवा टोलफ्री नंबर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण करेंगी।
10. कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, मैनेजिंग पार्टनर, (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), असफल होने पर, श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर, (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919) मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।
11. परिणामों की घोषणा एजीएम के समापन के दो कार्यदिवस के भीतर की जाएगी तथा उक्त परिणाम, समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।

कृते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता/–
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 04 अगस्त, 2022
स्थानः नोएडा

बुजुर्गों से संबंधित कानून का कड़ाई से पालन करवाए सरकार : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 का कड़ाई से पालन करवाए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि कानून के तहत आने वाले व्यक्तियों को असुविधा की दशा में उसे कानूनी सहायता तुरंत प्रदान की जाए।

पीठ ने उक्त निर्देश के साथ ही स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई को बंद कर दिया और उससे संबंधित याचिका निपया दिया। पीठ ने यह सुनवाई 23 मई को अधिवक्ता नेहा राय के पत्र के आधार पर शुरू की गई थी। राय ने पत्र लिखकर कहा था कि उक्त अधिनियम को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों की अपीलों पर ध्यान न देकर उन्हें राहत से वंचित किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने इस बाबत स्थिति रिपोर्ट पेश करके कहा कि सभी जिलाधिकारी और उप मंडल मजिस्ट्रेट पीड़ित लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हर शिकायत पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट को 1 जनवरी 2022 के बाद से मिली शिकायतें एवं उसके निपटारे का पूरी जानकारी देने को कहा था। इसी को लेकर सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल किया था। कोर्ट ने उस स्थिति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं है।

डीयू में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम से होंगे दाखिले

■ राकेश नाथ
नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 के तहत दाखिला किया जाएगा। दाखिला की यह प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी। दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नए सिस्टम के तहत छात्रों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर दाखिले के लिए आवेदन करना होगा। डीयू छात्रों के आवेदन और रैंकिंग के आधार पर सीटें अलॉट करेगा। इसके बाद कॉलेज इस आवेदन के आधार पर सीट को अप्रूव या रिजेक्ट करेगा।

डीयू ने दाखिले को लेकर अपनी गाइडलाइंस तैयार कर ली है। इस एडमिशन गाइडलाइंस को डीयू के विद्वत परिषद सदस्य ने स्वीकृत कर दिया है। डीयू दाखिले की डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि जिस तरह से टेक्निकल विश्वविद्यालयों में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से दाखिले होते हैं, उसी प्रकार डीयू में होंगे। फर्क यह है कि हमने दाखिले के सिस्टम का नाम रखा है। डीयू की एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार पहले चरण में छात्रों को दाखिले के लिए डीयू का सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन-कम-एडमिशन फॉर्म भरना होगा। छात्रों को इस आवेदन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) का अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। इसके बाद अपने आप सीयूईटी के सिस्टम से छात्र की डिटेल्स फॉर्म में आ जाएगी।

विवि ने बनाई एडमिशन गाइडलाइंस, विद्वत परिषद से मिली स्वीकृति

दाखिले की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

कॉलेज को डाक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा

एलोकेशन राउंड पूरा होने पर सीट बची तो स्पॉट राउंड भी होगा

छात्रों को दाखिले के लिए सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन कम एडमिशन फॉर्म भरना होगा

यूजी कोर्स के करीब 72 हजार सीटों के लिए चलेगी दाखिला प्रक्रिया

कई राउंड में होंगे दाखिले, दाखिले के बाद सर्टिफिकेट की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी

प्रो. गांधी ने बताया कि इस साल करीब 72 हजार अंडरग्रेजुएट सीटों के लिए दाखिले होंगे। दूसरे चरण में छात्रों को 79 कोर्सेज में से कोर्स को चयन करना होगा। इसके बाद सीयूईटी के स्कोर के तहत कोर्स का कंफर्मेशन होगा। छात्र कोर्स को चुनेगा और इसके बाद कॉलेज के विकल्प देगा कि पहले किस कॉलेज में और दूसरे किस कॉलेज में दाखिला लेना चाहेगा। दाखिला प्रक्रिया के तीसरे चरण के तहत छात्र को सीट ऑफर की जाएगी। छात्र को अंतिम तिथि और समय के भीतर इस ऑफर को स्वीकार करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यदि उस राउंड में छात्र ने सीट स्वीकार नहीं की तो यह माना जाएगा कि छात्र को दाखिला नहीं चाहिए। ऐसे में वह आगे के राउंड की दाखिला प्रक्रिया से वंचित हो जाएगा।

सीट एलोकेशन के बाद कॉलेज अपनी वेरिफिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद आवेदन को स्वीकार या रिजेक्ट करेगा। अगले चरण में छात्र को फीस जमा करनी होगी। डीयू की एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार यदि डीयू में एलोकेशन राउंड पूरा होने पर सीट बचती है तो सीटें भरने के लिए स्पॉट राउंड भी होगा। इसमें ऐसे छात्रों का दाखिला होगा, जिन्होंने आवेदन तो किया लेकिन उन्हें किसी भी राउंड में दाखिला नहीं मिला।

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

CUB TRUST AND EXCELLENCE SINCE 1904

उधार वसूली और प्रबंधन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम – 612 001 ई–मेल आईडी : crmd@cityunionbank.in,
फोन : 0435–2432322, फैक्स : 0435–2431746

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री सूचना

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में बंधक निम्नलिखित सम्पत्ति/या कर्जदारों/गारंटरों **क्रमांक 1) श्री सुनील नागर, पुत्र श्री हरिचंद नागर, पता नंबर पी–19, विला पिल्लनजी, सरोजिनी नगर, दिल्ली–110023, क्रमांक 2) श्रीमती पूनम नागर, पत्नी श्री सुनील नागर, पता नंबर पी–19, विला पिल्लनजी, सरोजिनी नगर, दिल्ली–110023, क्रमांक 3) मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, 349, नया बांस, दिल्ली–110023, क्रमांक 4) श्री विपिन लूथरा, पुत्र श्री कृष्णन लाल लूथरा, पता नंबर 29ए, गुरूआनंद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110023 से 13–02–2022** तक बकाया राशि **रू. 52,76,658/– (रूपए बावन लाख छहत्तर हजार छह सौ अठ्ठावन मात्र)** दिनांक **14–02–2022** से आगे ब्याज तथा अन्य खर्चों, बैंक के किसी अन्य बकाया की वसूली के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के तहत पुनर्–निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएंगी।

नोट : (1) कि हमारी **355–नई दिल्ली–मयूर विहार शाखा** ने आप मे क्रमांक 1 के अनुरोध पर वित्तीय सहायता कुल राशि **रू. 7,00,000/–** (सीयूबी ओएसएल स्पेशल–बीआर : 501812080079212) दिनांकित **26–04–2021** भी **11.50** प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराई है। वह भी दिनांक **04–09–2021** को एनपीए हो चुकी है और इसमे **13–02–2022** तक **रू. 7,73,113/–** तथा **14–02–2022** से वसूली की तिथि तक मासिक अंतरालों पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज तथा **2.00 प्रतिशत** दंड ब्याज की राशि बकाया है।

हमारे बैंक में बंधक अचल सम्पत्तियां

सम्पत्ति – 1 : (श्री सुनील नागर पुत्र श्री हरिचंद नागर द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति)
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : यूनिट नंबर जीएफ–09 बी (सुपर एरिया 315 वर्ग फीट), भू तल, खाता नंबर 297, खसरा नंबर 527/4, दि मॉल स्कॉटिश गार्डन (इंदिरापुरम), महीउद्दीन पुर कनावनी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी :– उत्तर – दुकान नंबर 9 ए, दक्षिण – प्रवेश, पूरब – दुकान नंबर 9 सी, पश्चिम – दुकान नंबर 8 ई

सुरक्षित मूल्य : रू. 53,00,000/–
(रूपए तिरेपन लाख मात्र)

सम्पत्ति – 2 : (श्रीमती पूनम नागर पत्नी श्री सुनील नागर द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति)
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : कॉमर्शियल यूनिट नंबर 17–ए (सुपर एरिया 315 वर्ग फीट), द्वितीय तल, खाता नंबर 297, खसरा नंबर 527/4, दि मॉल स्कॉटिश गार्डन (इंदिरापुरम), महीउद्दीन पुर कनावनी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी :– उत्तर – खुला स्पेस, दक्षिण – प्रवेश, पूरब – दुकान नंबर 17 बी, पश्चिम – अन्य दुकान

सुरक्षित मूल्य : रू. 25,00,000/–
(रूपए पच्चीस लाख मात्र)

पुनर्–नीलामी का विवरण

पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री की तिथि	स्थान
29-08-2022	**सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली–मयूर विहार शाखा,** सी–53, भू तल, शशि गार्डन फेज–1, मयूर विहार, नई दिल्ली–110091 **फोन नंबर** : 011–22755089, **सेल नंबर** : 9312282476

पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :
(1) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए तथा भाग लेना चाहिए और एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी ओर से बोली लगा रहा है। (2) इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र **प्रबंधक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली–मयूर विहार शाखा, सी–53, भू तल, शशि गार्डन, फेज–1, मयूर विहार, नई दिल्ली–110091** से प्राप्त कर सकते हैं। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां केवल निर्धारित प्रपत्र में **प्राधिकृत अधिकारी, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड** को संबोधित एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित मूल्य के **10%** की ईएमडी हेतु **"सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड"** के पक्ष में आहरित पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के साथ एतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को अथवा पूर्व **मध्या. 12.00 बजे** तक प्रस्तुत करनी चाहिए। (4) इच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अन्य विवरण के लिए **फोन नंबर : 011–22755089, सेल नंबर : 9312282476** पर सम्पर्क कर सकते हैं। (5) सम्पत्तियां "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। (6) सीलबंद निविदाएं एतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को अप. 01.00 बजे इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। यद्यपि साधारणतः बिक्री बंद निविदाओं द्वारा होगी, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी, एकमात्र अपने विवेकानुसार, बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त निविदा के ज्यादा ऊंची बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाताओं के मध्य खुली नीलामी संचालित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में बिक्री सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को की जाएगी। तथापि, बिक्री सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (7) सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की **25% राशि (भुगतान की जा चुकी ईएमडी सहित)** बिक्री पूर्ण होने पर **तत्काल** जमा करनी होगी तथा शेष **75%** राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से **15 दिन** के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर पहले जमा की गई **25%** राशि जब्त कर ली जाएगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पूरी राशि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने के पश्चात, केवल सफल क्रेता के पक्ष में जारी किया जाएगा। (9) सफल क्रेता को हस्तांतरण के लिए देय प्रभार/शुल्क, जैसेकि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क इत्यादि, कानून के तहत लागू अनुसार, वहन करने होंगे। (10) सफल बोलीदाता को कानूनी बकाया राशियां (कानूनी हाउस टैक्स, बिजली प्रभार और अन्य बकाया), टीडीएस, जीएसटी, यदि कोई, का भुगतान करना चाहिए, जो सरकार, सरकारी उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को देय हैं। (11) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोलिया स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : कुम्बकोणम, तिथि : 03–08–2022 **प्राधिकृत अधिकारी**

पंजी. कार्यालय : 149, टी.एस.आर. (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, **तमिलनाडु – 612 001, सीआईएन – L65110TN1904PLC001287**
फोन नंबर 0435 – 2402322, **फैक्स** : 0435 – 2431746, **वेबसाइट** : www.cityunionbank.com

वित्त पोषित कॉलेजों के अधिग्रहण की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के अकादमिक परिषद सदस्यों ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलंब के मुद्दे को अकादमिक परिषद की बैठक में जोर-शोर से उठाया। इसका संज्ञान लेते हुए कुलपति ने कहा कि जल्द विश्वविद्यालय के विभागों एवं कॉलेजों में रिक्त पद भरे जाएंगे। इसको लेकर वीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रिंसिपल एसोसिएशन से रोस्टर कार्य को शीघ्र पूरा करने में सहयोग का आग्रह किया। एनडीटीएफ के सभी सदस्यों ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को लेकर विद्वत परिषद की विशेष मीटि